न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 59/2013

प्रार्थीगण

1. रूपाराम पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी घोटियो की ढ़ाणी जिलिया तहसील कुचामसिटी
   जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. खींवाराम पुत्र लादुराम जाति जाट
2. हरजीराम पुत्र लादुराम जाति जाट
3. डेडुराम (डेडराज) पुत्र लादुराम जाट
4. मोहनराम पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी घोटिया की ढ़ाणी जिलिया
5. राज. सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी)
6. तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र नक्शा रेकर्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थित 1.श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2.श्री मो.हनीफ अधिवक्ता अप्रार्थी 1 से 4 की ओर से ।

आदेश

दिनॉक :– 23/10/2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम जिलिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 123 रकबा 129 बीघा 4 बिस्वा व गत खसरा नम्बर 125 रकबा 110 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित रही है। गत खसरा नम्बर 123 के दक्षिणी सीमा पर व गत खसरा नम्बर 125 की उत्तरी सीमा पर दोनो खसरा नम्बर 123? 125 के मध्य पूर्व पश्चिमी समानान्तर लम्बाई में गुजरता हुआ कटाणी मार्ग खसरा नम्बर 124 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि गत नक्शा शीट में अंकित रहा है। नवीन भू–प्रबन्ध सन् 1986–90 की अवधि में गत खसरा नम्बर 123 के नवीन खसरा नम्बर 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120 अंकित हुये। गत खसरा नम्बर 125 के नवीन खसरा नम्बर 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067 अंकित हुये। खसरा नम्बर 124 रास्ता की भूमि के कोई नवीन खसरा नम्बर भू–प्रबन्ध की गलती से दर्ज नही हो पाये है। नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही सन् 1986 में सम्पन्न होने के वक्त नवीन खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.66 हैक्टर रास्ता नक्शा में अवश्य अंकित किया है लेकिन यह नवीन खसरा नम्बर 1117 गत खसरा नम्बर

..... 2 .....

उपखण्ड अधिकारी

123 का होना खसरा मिलान प्रमाण–पत्र में अंकित किया गया है अर्थात प्रार्थी व उसके अन्य सह हिस्सेदारान की खातेदारी की कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 123 की भूमि मानते हुए नवीन खसरा नम्बर 1117 सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया जबकि नवीन भू–प्रबन्ध अधिकारियो को अभिलिखित खातेदारी की गत खसरा नम्बर 123 की भूमि को सरकारी रास्ता में दज करने का कोई क्षेत्राधिकार नही था नवीन खसरा नम्बर 1117 की भूमि खसरा नम्बर 123 का अभिन्न अंग है। खसरा नम्बर 123, 118 के सम्मिलित खाते की 176 बीघा 1 बिस्वा भूमि रही थी लेकिन मौके पर उक्त 176 बीघा 1 बिस्वा के 1/3 हिस्सा की भूमि गत खसरा न. 123में पूर्वी तरफ की 58 बीघा 17 बिस्वा भूमि मौके पर प्रार्थी रूपाराम व उसके स्व. भाई देवाराम व प्रार्थी के भाई डूंगाराम व खांगाराम की 58 बीघा 17 बिस्वा भूमि चारो भाईयों के हक व अधिकार की रही है जबकि नवीन भू–प्रबन्ध में चारो भाईयो के बंट मौके पर नवीन खसरा नम्बर 1116 रकबा 4.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1119 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 1120 रकबा 4.56 हैक्टर कुल रकबा 9.26 हैक्टर ही कायम किए है करीब 57 बीघा 5 बिस्वा ही बनती है जो करीब 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 1116, 1119, 1120 की भूमि में कम अंकन हुआ है प्रार्थी की इस पैतृक भूमि मे से 1 बीघा 12 बिस्वा की 0. 28 हैक्टर भूमि खातेदारी मे से कम अंकित कर दी जो बिना किसी आधार की गई है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के जेर तजबीज रहते हुए उपखण्ड अधिकारी परबतसर व नायब तहसीलदार कुचामनसिटी की उपस्थिति में दिनॉक 09.12.1988 को भू–प्रबन्ध विभाग के भू–मापक, निरीक्षक भू–प्रबन्ध विभाग एवं निरीक्षक भू–अभिलेख द्वारा उपरोक्त गत खसरा नम्बर 124 का नाप चौक कर रास्ता की दोनो सीमाओ (उतरी व दक्षिणी) पर पत्थरगढ़ी की गई एवं दिनॉक 10.12.1988 को पटवारी हल्का जिलिया,पटवारी हल्का सबलपुरा, पटवारी हल्का कुचामनसिटी द्वारा उक्त रास्ता गत खसरा नम्बर 124 की सीमा गत खसरा नम्बर 124 रास्ता की भूमि की पत्थर सीमा गत खसरा नम्बर 123 व 125 के मध्य कायम करने हेतु पत्थ रूपवाए गए उस वक्त गत खसरा नम्बर 124 रास्ता की भूमि की पत्थर गढ़ की गई तथा रास्ता की चौड़ाई का उल्लेख किया गया। दिनॉक 9.12.88 दिनॉक की मौका रिपोर्ट व नाप चौक के विपरित नवीन भू–प्रबन्ध द्वारा गत खसरा 124 की भूमि का नवीन खसरा का कोई विवरण नही दिया गया तथा भू–प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने तक वही भूल नक्शा में गत रास्ता खसरा नम्बर 124 के स्थान परिवर्तित कर दिया यानि रास्ता को गत खसरा नम्बर 123 की भूमि का भाग दर्शाकर कायम कर नवीन खसरा नम्बर 1117 अंकित कर दिए गए। गत खसरा नम्बर 123 व 124, 125 की नक्शा शीट मौमशीट के विपरीत जाकर नवीन खसरा नम्बर 1117 का अंकन किया गया। गत खसरा नम्बर 123 की पूर्वी सीमा उत्तर दक्षिणी लम्बाई 100+39 गढ़ढ़ा का नाप लिखा गया है तथा गत खसरा नम्बर 125 की पूर्वी सीमा की लम्बाई (उत्तर–दक्षिणी) 100 गढढा का अंकन नक्शा शीट में रहा है। गत नक्शा शीट के नाप के विपरीत व मौके के विपरीत नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही में गत खसरा नम्बर 125 के नवीन खसरा नम्बर 1060 की पूर्वी सीमा की लम्बाई उतर से दक्षिण गत नाप से ज्यादा

..... 3 .....

उपखण्ड अधिकारी

लम्बाई की अंकित की गई है तथा गत खसरा नम्बर 123 के भाग नवीन खसरा नम्बर1120की पूर्वी सीमा (उत्तर–दक्षिण) लम्बाई पहले के बजाय कम दूरी को नक्शा में अंकित किया है जो गलत है तथा नक्शा की त्रुटि है जो दुरूस्त योग्य है। प्रार्थी की पैतृक भूमि 1 बीघा 12 बिस्वा पर अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही रहते हुए भू–प्रबन्ध की गलती के आधार पर अप्रार्थीगण रास्ता की खसरा नम्बर 1117 को प्रार्थी की पैतृक भूमि में जबरन कायम करके प्रार्थी की पैतृक भूमि को रास्ता बताना चाहते है तथा रास्ता गत खसरा नम्बर 124 की भूमि की कटाणी मार्ग की खसरा नम्बर 1060 में गत खसरा नम्बर 124 की भूमि सम्मिलित कर रखी है। गत खसरा नम्बर 124 को नवीन खसरा नम्बर 1060 की पूर्वी सीमा पर पुनः दर्ज कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम जिलिया की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 123 के भाग नवीन खसरा नम्बर 1116 1119 1120 में 1 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 0.28 हैक्टर भूमि सम्मिलित कराने एवं नवीन खसरा नम्बर 1117 का अंकित रकबा 0.66 हैक्टर में 0.28 हैक्टर भूमि कम की जाने व गत खसरा नम्बर 124 के गत नक्शा शीट के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1117 को नवीन नक्शा शीट में खसरा नम्बर 1060 की उत्तरी सीमा के सहारे पूर्वी पश्चिम गुजरता हुआ 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 124 का रकबा पूर्व माफिक कायम करते हुए नक्शा नवीन में त्रुटि को दुरूस्त किया जावे अथवा भू–प्रबन्ध कार्यवाही की त्रुटि को दुरूस्त कराया जाने की आज्ञा प्रदान करावे। नवीन नक्शा शीट में उपरोक्त माफिक अंकन करने व नवीन खसरा नम्बर 1120 1119 1116 का रकबा 0.28 हैक्टर बढ़ाने व खसरा नम्बर 1117 में 0.28 हैक्टर भूमि नवीन खसरा नम्बर 1060 की भूमि मे से कम की जाकर गत खसरा नम्बर 124 की नक्शा शीट के अनुसार नवीन रास्ता नक्शा शीट में दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को जारी करने की आज्ञा पारित की जावे तथा नवीन खसरा नम्बर 1060 की पूर्वी सीमा पर गत खसरा नम्बर 124 के माफिक पुनः नक्शा में दर्ज कराया जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा दर्ज कर प्रकरण में सुनवाई की गई। तत्पश्चात उपखण्ड कुचामनसिटी में प्रकरण स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना– पत्र प्रस्तुत हुआ। शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से जवाब प्रस्तुत। शामिल मिसल उपलब्ध है। अप्रार्थी 1 से 4 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया है तथा गत खसरा नम्बर 123 के नवीन खसरा नम्बर 1117 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि राजस्व नक्शे में आई हुई है। जो पूर्ववत स्थिति अनुसार जमाबन्दी व राजस्व नक्शे में कायम चला आ रहा है। नवीन भू–प्रबन्धक कार्यवाही में गैर मुमकिन रास्ता के खसरा नम्बर 1117 कतई दर्शाये नही गये है, भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा मौके की स्थिति अनुसार ही पूर्व में कायम खसरा नम्बर 1117 दर्शाया है। यदि प्रार्थी भू–प्रबन्धक कार्यवाही से तनिक मात्र भी असन्तुष्ट होता तो पर्चा लगान मिलते ही विहीत समय में सेटलमेंट विभाग में अपील कर अपना पक्ष रख सकता था। मामला जनहित से सम्बद्व होने के कारण अकेले प्रार्थी को

..... 4 .....

उपखण्ड अधिकारी

आम जनता के हितो के विपरीत लैण्ड रिकार्ड आफिसर के limited jurisdiction के तहत short cut के माध्यम से खातेदारी रद कर सार्वजनिक रास्ते की भूमि खुर्द करने का प्रार्थी को कानूनन अधिकार नही है। तहसीलदार कुचामनसिटी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि गत खसरा नम्बर 125 व 123 के मध्य खसरा नम्बर 124 रास्ता जो कि वर्तमान भू–प्रबन्ध संक्रियाओ से पूर्व नक्शे में दर्ज है, उक्त खसरा नम्बर 124 नकल जमाबन्दी अनुसार राजकीय खाते में गै.मु.रास्ता दज है, हाल खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.66 हैक्टर को गै.मु.रास्ता राजकीय खाते में दर्ज किया गया है व मिलान क्षैत्रफल में इस खसरा को गत खसरा नम्बर 123 का भाग दर्शाया गया है एवं गै.मु.रास्ता गत खसरा नम्बर 124 की भूमि दर्ज रही है। गत खसरा नम्बर 124 का वर्तमान भू–प्रबन्ध के दौरान मिलान क्षैत्रफल में अंकन नही किया गया है जबकि भू–प्रबन्ध से पूर्व राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा नम्बर 124 गै.मु.रास्ता 4 बीघा 1 बिस्वा दर्ज था, भू–प्रबन्ध में नये खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.66 हैक्टर गै.मु.रास्ता को गत खसरा नम्बर 123 का भाग बताया गया है जो कि खातेदारी की भूमि थी, जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को भूमि विनियम किये जाने या किस्म बदलने अर्थात गै.मु.रास्ता से कृषि भूमि परिवर्तन करने का अधिकार नही है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने इस्तदुआ अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2042–2045 ग्राम जिलिया खसरा नम्बर 124 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा गै.मु.रास्ता राजस्थान सरकार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2057–60 अनुसार ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.66 हैक्टर गै.मु.रास्ता सिवाय चक गै.मु.रास्ता दर्ज है।

उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं उसके अन्य भाईयो के पूर्व में 58 बीघा 17 बिस्वा भूमि गत खसरा नम्बर 123 में अन्य सह खातेदारान के आई हुई थी, जो वर्तमान में नवीन खसरा नम्बर 1116 1118 1119 1120 कुल रकबा 9.26 हैक्टर दर्ज है जो 57 बीघा 5 बिस्वा ही होती है, प्रार्थी की 1 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 0.28 हैक्टर भूमि सेटलमेंट के दौरान कम की गई है। वर्तमान खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.66 हैक्टर भूमि गै.मु.रास्ता दर्ज चली आई है, जबकि उक्त खसरा नम्बर गत खसरा नम्बर 123 से बनाया गया है। गत खसरा नम्बर 124 के नये खसरा नम्बर नये सेटलमेंट में अंकित नही किये है। उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित है। अतः निम्न प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम जिलिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 123 के नवीन खसरा नम्बर 1116, 1119, 1120 में 1 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 0.28 हैक्टर खसरा नम्बर 1117 मे से कम करके सम्मिलित की जाकर नवीन खसरा नम्बर 1117 का

..... 5 .....

अंकित रकबा 0.66 हैक्टर की जगह 0.28 हैक्टर कम करते हुए गत खसरा नम्बर 124 का भाग नवीन खसरा नम्बर 1117 घोषित किया जाकर व खसरा नम्बर 1060 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व पश्चिम गुजरता हुआ भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व की स्थिति रास्ता कायम करते हुए नवीन खसरा नम्बर 1060 मे से 0.28 हैक्टर रास्ते में कायम करते हुए खातेदारी में से कम करते हुए नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम किया जावे व भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को दिया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 23/10/2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)